उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5

संख्या- 38/2017/1194जे/22-5-2017-300(48)2016

लखनऊ : दिनांक 25 मई ,2017

वारण्ट

मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी में मानसिक उपचार हेतु भर्ती जिला कारागार, देवरिया के सिद्धदोष बंदी रामनरेश उर्फ नरेश पुत्र श्री राजदेव को विजिटर्स बोर्ड की दिनांक 12-04-2017 को सम्पन्न हुई बैठक में मानसिक रूप से स्वस्थ घोषित कर दिया गया है।

2- अतएव उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-518 एवं प्रिजनर्स एक्ट-1900 की धारा-30(2) के अन्तर्गत आदेशित किया जाता है कि उक्त बंदी को दण्ड की शेष अवधि भोगने हेतु उसे जिला कारागार, देवरिया वापस कर दिया जाये।

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।

संख्या-38/2017/1194जे/22-5-2017-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्निलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषित:-

1. महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाऐं, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या-15306/सामा-1(1)/मानसिक बंदी/4/2016, दिनांक 12-05-2017 के संदर्भ में मूल संलग्नकों सहित।
2. जिलाधिकारी, देवरिया ।
3. पुलिस अधीक्षक, देवरिया ।
4. अधीक्षक, जिला कारागार, देवरिया को शासन के वारण्ट संख्या-19/2016 /2271जे0/22-5-16-300(48)2016 दिनांक 29-11-2016 के क्रम में।
5. प्रमुख अधीक्षक, मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी।
6. गाई फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in